कार्यालय मुख्य अभियन्ता,(फै0क्षे0), लो0नि0वि0, फैजाबाद।

22/8/15

पत्रांकः– 11467 फै0क्षे0/74 याता–(गो0वृ0)फै0क्षे0/2014–15 दिनांक :– 22.8.15

सेवा मे

अधीक्षण अभियन्ता
गोण्डा वृत्त, लो0नि0वि0, गोण्डा।

विषयः–जनपद–बलरामपुर में पीलीभीत–बस्ती मार्ग (राज्य मार्ग संख्या–26) के किमी0–331 में (चैनेज 700) मेंमध्य भाग से बांयी तरफ ग्राम–गोदीपुर, परगना व तहसील जिला–बलरामपुर में गाटा संख्या–388 ख में भारत पेट्रोलिएम कार्पोरेशन, लि0 द्वारा रिटेल आउट लेट (पेट्रोल पम्प) की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

आपके उक्त विषयक पत्र संख्या 2824/114 काम–गो0वृ0/2015 दिनांक 12.08.2015 द्वारा प्रेषित विषयगत प्रकरण संबंधी तथ्यात्मक टिप्पणी एवं संस्तुति के आधार पर, जनपद–बलरामपुर में पीलीभीत–बस्ती मार्ग (राज्य मार्ग संख्या–26) के किमी0–331 में (चैनेज 700) में मध्य भाग से बांयी तरफ ग्राम–गोदीपुर, परगना व तहसील जिला–बलरामपुर में गाटा संख्या–388 ख में भारत पेट्रोलिएम कार्पोरेशन, लि0 द्वारा रिटेल आउट लेट (पेट्रोल पम्प) की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिये, निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ अनुमति प्रदान की जाती हैः–

1. जनपद–बलरामपुर में पीलीभीत–बस्ती मार्ग (राज्य मार्ग संख्या–26) के किमी0–331 में (चैनेज 700) में मध्य भाग से बांयी ओर प्रस्तावित रिटेल आउट लेट (पेट्रोल पम्प) एवं अन्य किसी प्रकार का अतिक्रमण, उक्त मार्ग की मध्य रेखा से 22.86 मी0 (75.00 फीट) की दूरी तक की भूमि पर नहीं किया जायेगा।
2. प्रस्तावित निर्माण तक पहुँच मार्ग एवं सड़क के पानी की निकासी हेतु चौकोर नाली एवं एक मीटर स्पान की पुलिया का निर्माण स्वामी को अन्य निर्माण कार्य करने से पूर्व अपने व्यय पर करना होगा।
3. प्रस्तावित निर्माण का कुर्सी तल, मार्ग की सतह से 30 से0मी0 नीचा रखा जायेगा।
4. निर्माण स्थल के सामने मुख्य मार्ग के बीच में बची हुई भूमि पर, कोई कम्पनी आदि का बोर्ड एवं लाइट आदि के पोल नहीं लगाये जायेंगे। मार्ग की मध्य रेखा से 22.86 मीटर तक, कोई भी स्थाई/अस्थाई निर्माण(घास आदि लगाने का कार्य) न कराया जाय।
5. निर्माण स्थल के पानी का बहाव, मार्ग की दिशा में नहीं होगा।
6. प्रस्तावित निर्माण कार्य, प्रस्तावित भारत पेट्रोलिएम कारर्पोरेशन लि0 द्वारा प्रस्तुत मानचित्र के अनुरूप ही कराया जाय तथा आई0आर0सी0 पब्लिकेशन का पूर्णरूप से पालन किया जाय।
7. भू–स्वामित्व की जिम्मेदारी, लो0नि0वि0 पर नहीं होगी। भू–स्वामित्व का परीक्षण एवं सत्यापन, संबंधित राजस्व विभाग अपने स्तर पर सुनिश्चित करेगा। भू–स्वामित्व होने पर ही स्थल मानचित्र एवं निर्माण कार्य वैध माना जायेगा।
8. लोक निर्माण विभाग की सरकारी भूमि, जो रिटेल आउट लेट के पहुँच मार्ग के रूप में उपयोग होगी, उसे सदैव सही दशा में रखने तथा इसका स्वामित्व सदैव उत्तर प्रदेश सरकार का ही रहने सम्बन्धी लीज एग्रीमेन्ट, भू–स्वामी को निर्धारित प्रारूप में करना होगा।
9. उपरोक्त शर्तो के आधार पर निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ही, स्वामी द्वारा प्रश्नगत निर्माण कार्य करने का प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना होगा।
10. एक वर्ष तक प्रस्तावित निर्माण कार्य न होने पर, पेट्रोल पम्प के स्वामी को पुनः अनुमति लेनी होगी।
11. इन एवं इक्जिट हेतु, इस प्रकार साइन बोर्ड लगाया जाए ताकि वाहनों को स्पष्ट दिखाई दे।
12. पेट्रोल पम्प खुला कृषि क्षेत्र में स्थापित होना है।
13. उपरोक्त सभी अथवा एक भी निर्देश एवं एम0ओ0एस0टी0 के डाकूमेन्टस का पालन न करने पर अनापत्ति प्रमाण–पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा और विभाग किसी भी प्रकार की हॉनि आदि के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा तथा विभाग के विरूद्ध, कुछ भी क्लेम नहीं किया जा सकता है।

उक्त टिप्पणी के साथ प्राप्त नक्शा वापस किया जाता है।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार। मानचित्र 1 नं0।

मुख्य अभियन्ता, (फै0क्षे0),
लो0नि0वि0, फैजाबाद।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बलरामपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियन्ता, (फै0क्षे0)